

## प्रेस नोट थाना बेलघाट दिनांक 17-05-2021

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों तथा अवैध कच्ची शराब निष्कर्ण बिक्री व परिवहन पर पूर्णरूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व पुलिस उपाधीक्षक गोला महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द प्रकाश के निर्देशन में, उ०नि० श्री हरिश्चन्द्र व उ०नि० श्री राकेश कुमार सिंह मय हमराह, का० प्रीतम कुशवाहा, का० सर्वेश यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र स्व० केदार केवट ग्राम रापतपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को 40 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 500 ग्राम नौसादर के साथ आज दिनांक 17.05.2021 को समय 09.30 बजे गिरफ्तार कर यथा मु०अ०सं० 67/2021 धारा 60 EX ACT व 272 IPC थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सुरेन्द्र पुत्र स्व० केदार केवट ग्राम रापतपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर उम्र 45 वर्ष।

### गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 17.05.2021 समय 09.30 बजे ग्राम रापतपुर करमातर पुलिया थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 67/2021 धारा 60 EX Act. व 272 IPC
2. मु०अ०सं० 38/2020 धारा 60/63/72 EX Act. व 272 IPC
3. मु०अ०सं० 145/19 धारा 60 EX Act.
4. मु०अ०सं० 133/17 धारा 60 EX Act.
5. मु०अ०सं० 144/17 धारा 364/302 IPC
6. मु०अ०सं० 47/13 धारा 60 EX Act.
7. मु०अ०सं० 173/11 धारा ¾ गुण्डा अधि०
8. मु०अ०सं० 125/11 धारा 60 EX Act.
9. मु०अ०सं० 211/10 धारा 60 EX Act.

### गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण

1. उ०नि० श्री हरिश्चन्द्र
2. उ०नि० श्री राकेश कुमार सिंह
3. का० प्रीतम कुशवाहा
4. का० सर्वेश यादव